Speed-Post

Our Ref: WROL/1:13 **Date: 1 May 2017**

Subject: QUOTATION FOR LIFTING OF SCRAP/REMNANTS OF TESTED SAMP LES

To,

Dear Sir/s,

Bureau of Indian Standards, Mumbai intends to dispose-off scrap/ remnants of tested samples as per Annexure-I on the terms and conditions mentioned below. You are requested to submit the rates for the lot i.e. for all items of Annexure-I - individually for each items. Quotation for part of the lot would not be accepted. Quotation for metal scrap should be on a unit rate basis (per kg). Copy of the Annexure – I can be used for submitting the quotation. However, the same should be signed with stamp. Unsigned and unstamped bids shall be rejected. Quotation not meeting the terms and conditions would be rejected.

Terms and Conditions :

1. Quotation shall be submitted in a sealed envelope superscribed **" QUOTATION FOR LIFTING OF SCRAP/REMNANTS OF TESTED SAMPLES** A tender box has been kept on the ground floor marked "TENDER FOR DISPOSAL OF SCRAP" for dropping the quotation latest by **1500 hours on 16 May 2017** . The same shall be opened at **1530 hours on 16 May 2017**. Tenderer or his authorised representative may remain present at the time of opening of the quotation if he desires so.

2. The contract for disposal shall be valid for one year from the date of awarding the work. The quotation shall be accompanied with Earnest Money Deposit (EMD) of ` 3000.00 ( `. Three thousand only) by **Demand Draft in favour of Bureau of Indian Standards, Mumbai.** In the event of non-acceptance of the quotation the EMD shall be refunded. The quotation not accompanied with EMD shall be summarily rejected. Please note that, **CASH/CHEQUES SHALL NOT BE ACCEPTED.** No interest shall be payable on Earnest Money Deposit

Cont. page..2..

3. The EMD of the the successful bidder shall be retained by the Bureau as security deposit and would be refunded after expiry of the period of validity of contract. Please note that Bureau will not pay any interest for security deposit. For unsuccessful bidders , EMD shall be refunded after finalization of the tender.

4. The bidder shall also submit documents confirming his registration with CPCB/SPCB/PCC/Ministry of environment and Forest.

5. The items offered in the Annexure -I may be inspected at the premises of Bureau at Manakalaya, E-9 (Behind Marol Telephone Exchange) MIDC, Andheri (East) Mumbai- 400 093, anytime between 1400 h to 1600 h on any working day between Monday to Friday (except holidays) with prior intimation to the undersigned.

6. The successful bidder shall have to take delivery of material within **15 days, (maximum 2 trips)** on any working day during office hours against full payment in advance by DD or banker's cheque in favour of **Bureau of Indian Standards, Mumbai,** failing which, the Earnest Money Deposited will be forefeited. All quotations shall remain valid for a period of 60 days from the date of opening of quotations. In the process of removing the items from our store, the tenderer will be responsible for loss of any property of the Bureau due to negligence on his part or on the part of his representatives and the amount of loss shall be recovered from the bidder.

7. The bidder will have to remove the entire lot on **"As is Where is Basis",** condition.

8. Bureau of Indian Standards reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason, thereof.

9. BIS shall not be held responsibile for delay, loss in transit or non-receipt of quotations after despatch, by the bidder.

10. In case of any dispute, the decision of Bureau of Indian Standards, Mumbai shall be final in the matter.

11. The Bureau and the bidder shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotioation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute of any kind whatsoever that cannot be resolved and the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Competant Authority of BIS. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

12. No suit or other proceedings relating to performance or breach of contract shall be filed or taken by the Agency in any Court of Law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Mumbai only.

(P Rajesh)
SC 'E' & HWROL

Encl:As above

Sale of scrap

Sl.no.	Name/nature of scrap material	Quote rate per KG/ piece	
1.	Aluminium conductors		
2.	Small size cables		
3.	Wiring accessories		
4.	Big size HD cables		
5.	Metal dirillings and remanants		
6.	MS scrap		
7.	UPVC,HDPE pipe scrap & other plastic material		
8.	SS-LPG stove bodies		
9.	MS Drum – (200 L capacity)		
10.	MS Drum others		
11.	Brass scrap		
12.	Aluminium scrap		

स्पीड पोस्ट

संदर्भः पक्षेकाप्रयो./1:13

दिनांक : 01.05.2017

विषयः स्क्रैप और परीक्षित नमूनों के अवशिष्टों के निपटान हेतु दरें

सेवा में,

महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई ने परिशिष्ट–1 में सूचीबद्ध स्क्रैप/परीक्षित नमूनों के अवशिष्टों का जहॉं हैं जैसे हैं आधार पर नीचे उल्लिखित सेवा शर्तो के अनुसार निपटारा करने का निश्चय किया है । निवेदन है कि परिशिष्ट–1 में दी गई वस्तुओं में से विशिष्ट वस्तु के लिए निविदा प्रस्तुत करें। आधी–अधूरी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। धातु स्क्रैप की दरें यूनिट दर के आधार (प्रति किग्रा) पर होनी चाहिए। परिशिष्ट–1 की प्रतिलिपि निविंदा दर के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें मुहर लगाकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। बिना हस्ताक्षर एवं मुहर वाली निविदा को खारीज किया जाएगा । निविदा सेवा और शर्तों को पूरा नहीं करने वाली दरों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

सेवा और शर्ते

1. निविदा मुहरबंद लिफाफे में "स्क्रैप और परीक्षित नमूनों के अवशिष्टों को उठाने के लिए निविदा" लिखकर प्रस्तुत की जाएगी और दिनांक 16 मई 2017 के 1500 बजे तक भारतीय मानक ब्यूरो को भेज दी जानी चाहिए। निविंदा उसी दिन 1530 बजे खोली जाएगी। तल मंजिल पर एक टेंडर बॉक्स निविदा डालने के लिए " स्क्रैप निपटान के लिए निविदा" लिखा हुआ रखा गया है। यदि अपेक्षा हो तो, निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खोलते समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

2. निविदा प्राप्त होने के दिन से निपटान की संविदा एक वर्ष तक के लिए वैध होगी। निविंदा के साथ बयाना धनराशि जमा चेक रुप में रु. 3000.00 (तीन हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई के पक्ष में जारी किया हुआ संलग्न किया जाय। बयाना अथवा नकद के रुप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के स्वीकार नहीं किए जाने पर जमा बयाना धनराशि को वापस किया जाएगा। बिना बयाना धनराशि जमा के निविदाओं को अस्वीकार किया जाएगा। बयाना धनराशि जमा का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. सफल बोलीदारों का बयाना धनराशि जमा ब्यूरो द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के तौर पर अपने पास रखा जाएगा और संविदा की वैधता समाप्त होने पश्चात लौटायी जाएगी। असफल बोलीदारों का बयाना धनराशि निविंदा की कार्रवाई पूरी होने के उपरान्त लौटायी जाएगी।

4. बोलीदार को सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पंजीकृत होने की पुष्टि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

5. परिशिष्ट–1 में आमंत्रित वस्तुओं का निरीक्षण पूर्व सूचना से ब्यूरो के परिसर मानकालय, ई–9, एमआयडीसी, अंधेरी, पूर्व, मुंबई – 400 093 में सोमवार से शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर कार्य दिवसों के दौरान 1400 बजे से 1600 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को पूर्व सूचना देते हुए किसी भी समय किया जा सकता है।

6. सफल बोलीदारों को ठेका प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर (अधिकतम दो फेरी में) कार्यालय के कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान पूर्ण अग्रिम भुगतान मानक ब्यूरो, मुंबई के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा **बैंकर** चेक के माध्यम से **भुगतान** करके सामग्री की सुपुर्दगी लेनी होगी, ऐसा नहीं करने पर बयाना धनराशि को जब्त किया जाएगा। **निविदाओ** को **निविदा** खुलने के दिन से 60 दिनों तक की अवधि तक वैध माना जाएगा। स्टोर से वस्तुओं को हटाने के प्रक्रम के दौरान **निविदाकर्ता** अथवा उनके प्रतिनिधियों की लापरवाही से ब्यूरो की संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी **निविदाकर्ता** की होगी और नुकसान की भरपाइ **निविदाकर्ता** से की जाएगी।

7. **निविदाकर्ता** को स्कैप को लॉट में जहॉ हैं जैसे हैं के आधार पर निकालना होगा।

8. भारतीय मानक ब्यूरो किसी भी अथवा सभी **निविदाओ** को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. भामाब्यूरो बोलीदार द्वारा **निविदा** के प्रेषण के बाद उसके खोने अथवा प्राप्त नहीं होने का उत्तरदायी नहीं होगा।

10. किसी भी वाद के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई का निर्णय अंतिम होगा।

11. संविदा से संबंधित अथवा दोनों पक्षों के मध्य किसी भी प्रकार की असहमति अथवा वाद पैदा होने पर ब्यूरो और बोलीदार प्रत्यक्ष **अनौपचारिक** वार्ता के माध्यम से उसे सुलझाएगें। यदि वाद किसी भी प्रकार का हो जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है उसे भामाब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त विवाचक को भेजा जाएगा। भारतीय विवाचन एवं समाधान अधिनियम 1996 लागू होगा।

12. **एजेंसी** द्वारा कोई भी दावा अथवा निष्पादन से संबंधित कार्यवाही अथवा संविदा उल्लंघन संबंधी मामले को केवल मुंबई क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही दायर किया जाएगा।

(पी राजेश)
वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख,
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला

संलग्नक: उपरोक्त
भामाब्यूरो, पक्षेका, सूचना पट्ट
भामाब्यूरो, वेबसाइट

Annexure -I

Sl.no.	Name/nature of scrap material		Rate quoted
1.	अल्युमीनियम कंडक्टर्स	किलो	
2.	छोटा साइज़ केबल	किलो	
3.	वायरिंग एसेसरीज़	किलो	
4.	बड़े साइज़ के एचडी केबल	किलो	
5.	धातु की छीलन एवं बाकी संपल टुकड़े	किलो	
6.	माइल्ड स्टील स्क्रैप	किलो	
7.	यूपीवीसी, एचडीपीई पाइप स्क्रैप एवं अन्य प्लास्टिक सामान	किलो	
8.	एमएस-एलपीजी स्टोव बॉडी	नग	
9.	माइल्ड स्टील ड्रम (200 लि॰)	नग	
10.	माइल्ड स्टील ड्रम(बाकी)	नग	
11.	पीतल स्क्रैप	किलो	
12.	अल्युमीनियम स्क्रैप	किलो	
13.	पानी के 20 लिटर जार	किलो	